# मेसर्स एसईसीएल, बिलासपुर द्वारा बिजारी खुली खदान प्रोजेक्ट, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) में प्रास्तवित माईनिंग ऑफ कोल प्रोजेक्ट क्षमता – 2.25 एमटीपीए के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 04.05.2013 का कार्यवाही विवरण :–

मेसर्स एसईसीएल, बिलासपुर द्वारा बिजारी खुली खदान प्रोजेक्ट, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) में प्रस्तावित माईनिंग ऑफ कोल प्रोजेक्ट क्षमता – 2.25 एमटीपीए के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 04.05.2013 को स्थान–प्राथमिक शाला, ग्राम बिजारी के समीप का मैदान, विकासखण्ड – घरघोड़ा, जिला – रायगढ़ में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी रायगढ, की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्रातः 11.00 बजे लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारंभ की गई। लोक सुनवाई में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ तथा क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल रायगढ उपस्थित थे। लोक सुनवाई में आसपास के ग्रामवासी तथा रायगढ़ के नागरिकों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं ने भाग लिया। सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन दिनांक 14.09. 06 के प्रावधानो की जानकारी दी गयी।

लोक सुनवाई में लगभग 700 लोगो का जन समुदाय एकत्रित हुआ। उपस्थिति पत्रक पर 12 लोगों ने हस्ताक्षर किये। मौखिक वक्तव्यों को लिपिबद्ध किया गया।

लोक सुनवाई, उद्योग प्रतिनिधि के द्वारा परियोजना के प्रस्तुतीकरण से प्रांरभ हुई। सर्वप्रथम उद्योग की ओर से कंपनी प्रतिनिधि श्री बी.के.गजबिये, भू–राजस्व प्रभारी अधिकारी एवं श्री शिव शंकर, मुख्य प्रबंधक पर्यावरण, बिलासपुर द्वारा प्रस्तावित परियोजना के संबंध में संक्षिप्त जानकारी एवं उक्त परियोजना में किये जाने वाले प्रदूषण नियंत्रण के उपाय, जल की आवश्यकता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्थानीय लोगों को रोजगार, सामुदायिक विकास कार्य आदि के बारे में जानकारी दी गई तथा बताया गया कि विश्व में कोयला उत्पन्न करने में भारत तीसरे स्थान पर है। इंडिया मे सवसे ज्यादा कोयला उत्पन्न करने वाली कम्पनी एस.ई.सी.एल. है। बिजारी मुख्य रूप से प्रभावित ग्राम है। बड़ी संख्या में कोयला, विद्युत उद्योग के लिये है। प्रतिवर्ष कोयले की मांग बढ़ रही है। बिजारी में 08 मीटर नीचे कोयला है, वर्ष 2012 – 13 में कोयले का 772 एमटीपीए उत्पादन किया। परियोजना की अवधि 14 वर्ष की है। इस परियोजना में मुख्य रूप से 03 गाँव प्रभावित होंगे। बिजारी गाव का सम्पूर्ण विस्थापन होगा। विस्थापित परिवार का 6 डिसमिल जमीन प्रति परिवार दिया जायेगा। यह एक खुली खदान है, जिसमें वायु प्रदूषण 500 माईक्रोग्राम/घनमीटर से कम है। ध्वनि प्रदूषण सीमा के अन्दर है। इस खदान में ऊपरी भाग में ड्रिलिंग होगा। कोयला निकालने के लिये ड्रिल कास्टिंग का उपयोग नहीं किया जायेगा। कुल परियोजना 265 हेक्टेयर का होगा। खदान समाप्ति के पश्चात् 202 हेक्टेयर भूमि को हरा भरा कर दिया जायेगा। सभी तरह का प्रयास किया गया है कि इस परियोजना से किसी प्रकार का पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। श्री गजबिये ने बताया कि प्रति 02 एकड़ भूमि में एक रोजगार दिया जायेगा। इस परियोजना से कुल 269 लोगो को रोजगार दिया जायेगा। कोल बेयरिंग एक्ट 1957 के अन्तर्गत सेंट्रल गर्वन्मेट की ओर से भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। जिनके पास कम भूमि है वह दुसरों से सहमति लेकर 02 एकड़ भूमि में रोजगार प्राप्त कर सकता है। विस्थापित परिवारों को 6 डिसमिल जमीन या 3 लाख दिया जायेगा। 06 महीने का प्रशिक्षण अवधि होगा तत्पश्चात् नौकरी स्थाई किया जायेगा। एस.ई.सी.एल द्वारा 65 प्रतिशत् आवास सुविधा दी गई है। कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना में किसी की मृत्यू हो जाती है तो पुनः रोजगार देने का प्रावधान है। शिक्षित महिला – पुरूष को कम्प्यूटर, सिलाई ड्रायविंग इत्यादि की प्रशिक्षण पश्चात् रोजगार दिया जायेगा। एस.ई.सी.एल द्वारा मांड नदी पर सड़क का मजबूतीकरण तथा कांक्रीटीकरण किया गया है। केलो नदी के मैरिन ड्राइव के लिये 17 करोड़ की लागत हैं। जिसे एसईसीएल करेगा। छाल – हाटी रोड़ 23.0 करोड़ की लागत् प्रस्तावित है। पूरे छ. ग. में 4000 करोड़ का रेल कारिडोर प्रस्तवित है। जिसमें एस.ई.सी.एल 64 प्रतिशत् का भागीदार होगा।

ADM

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा उद्योग प्रतिनिधि को जन सुनवाई के दरम्यान उठायी गई आपत्तियों, टीकाटिप्पणी को नोट करने तथा उन्हें कार्यवाही के अंत में बिन्दुवार स्पष्ट जानकारी देने का निर्देश दिया गया। इसके उपरांत उपस्थित जन समुदाय से सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणी आमंत्रित की गयी, जिस पर निम्नानुसार 197 व्यक्तियों ने अपने विचार व्यक्त किये –

सर्वश्री –

1. राजेश त्रिपाठी, जन चेतना मंच, रायगढ़ – जन सुनवाई केन्द्रीय वन पर्यावरण की सूचना सन 2006 के प्रावधानों अनुसार 45 दिवस में कराना चाहिये लेकिन यह जन सुनवाई 45 दिन के बाहर है। ईआईए रिपोर्ट एवं प्रजेंटेशन में परिवर्तन है। 84 लोगों को ई.आई में नौकरी देना लिखा है। प्रजेन्टेशन में कहा गया कि 6, 8 – 10 लाख जमीन का मुआवजा दिया जायेगा। कोयला 54 करोड/एकड़ निकाला जायेगा। 01 करोड़/एकड़ मुआवजा मिलना चाहिये किसानों को । 84 लोगो को नौकरी देंगे वे कौन होंगे ? यह स्पष्ट होना चाहिए। 2.25 मिलियन टन कोयला निकालेंगे। 2008 में ई.आई.ए का अध्ययन कराया । 2013 में पता नहीं कितना बदल गया। ताजा वर्तमान रिर्पोट नहीं है। अरबो रूपये का कोयला हर साल सरकार को देते है। परन्तु घरघोड़ा तहसील के अन्दर न तो बेहतर स्कूल, अस्पताल है। रायगढ़ के अन्दर एक भी पुर्नवास नहीं हुए है। जो लोग इससे प्रभावित होते है उन्हे पुर्नवास मिले । इस क्षेत्र के लोगो को तीन प्रकार से जीवन जीने का अधिकार है कृषि, पशुधन और वनोपज। यहां के जीने का आधार है यदि यह चला गया तो यहां के लोग कैसे जीयेंगे ? पूरी पीढ़ी इसी से जुड़ी है। इन गरीबों का क्या होगा ? आज भी गांवो में बिजली तथा स्वास्थ्य सुविधायें नहीं है। सी एस आर के अन्तर्गत बिजारी में क्या कार्य होगा ? स्पष्ट करें। 26 प्रकार की बीमारियां माईंस क्षेत्र में होती है। इन बीमारियों से बचने के लिये ईआईए में कुछ नहीं लिखा है। हम ऐसे काम करें की इस क्षेत्र में बीमारी ही न हों। इलाज की जरूरत् न पड़े। ईआईए के अन्तर्गत यह भी बताया गया है कि यहां वन्य जीव नहीं पाये जातें। घरघोड़ा क्षेत्र में 42 लाख रूपये हाथियों के कुचले जाने का मुआवजा दिया गया है। हाथी भालू, हिरन खरगोश, आदि जंगली जानवर यहां है। ई.आई.ए. गलत है या वन विभाग की जानकारी। एक भी जंगली जानवर का जिक्र नहीं किया गया है। वन विभाग दावा करता है 33 लाख खर्च कर यहां जड़ी बूटी जंगल विभाग लगाया है। ईआईए के अन्तर्गत यह नहीं लिखा है कि पांचवा अनुसुचित के अंर्तगत यह क्षेत्र आता है और पेशा एक्ट यहां लगता हैं। यहां 334 परिवार विस्थापित होगें। 84 लोगों को इनमें से नौकरी मिलेगी। तो बाकी लोगों का क्या होगा ? पुरूषों को छोड़ो माताओ बहनो का क्या होगा ? किसी के यहां दुर्घटना होती है तो उनके परिवार का क्या होगा ? यह ई.आई.ए एसी कमरे में बैठकर बनाई गई है। यह मै कहता हूं। नही तो बुनियादी बातें इसमें अवश्य होती। क्या ग्राउण्ड वाटर का उपयोग कर यह उद्योग चलेगा ? पेशा एकट कानून के अन्तर्गत बिना ग्राम सभा के अनुमति के इस क्षेत्र में जमीन नहीं ले सकतें। 10 वर्ष तक डायवर्सन नहीं हो सकता, यहां की जमीन का। अध्ययन रिपोर्ट को देखा जाये। जहां माईनिंग हो चुकी है, जहां हो रहा, हो चुकी वहां का अध्ययन होना चाहियें। जो कि नहीं किया गया है। यहां वृक्षारोपण होना चाहिये। खनन के बाद वह जमीन किसानों को वापस कर दी जाये। कोयला निकालने के बाद जिन किसानों की जमीन है उन्हे वापस किया जाना चाहिये
2. सुन्दरलाल साव, बिजारी – एसईसीएल बिजारी के प्रतिनिधि बोले है कि 3 लाख देंगें जिससे गांव वाले दुखी है। 3,6,10 लाख में हमारा गुजारा नहीं होगा। जमीन का 50 लाख एकड़ मुआवाजा दे, सब को नौकरी दे, तो गुजारा होगा। घर की क्षतिपूर्ती दे। नौकरी की सुविधा दिया जाये। टिकरा खार, बहला सभी जमीन को 50 लाख एकड़ में ले। कोयला सभी जगह उतना मिलेगा। सभी भाई – बहन है उनका कहना है कि हमें 50 लाख रूपये एकड़ दे नहीं तो हम जमीन कहां खरीद पायेगें ? सब को रोजगार का हक मिले।
3. दिलीप सिंह राठिया, सरपंच टेरम – मै अपना जमीन नहीं देना चाहता। मेरे को नौकरी नहीं करना है। आज भी अधिकारी कर्मचारी हमको लूट रहे है। पढ़कर कविता सुनाया गया। हम

ADM

धान चना गेहू उगाना चाहतें है। मै बहुत बड़ी आंदोलन की कल्पना करता हूं। मेरे क्षेत्र में जा रहे गांव को दूसरे जगह में विस्थापित कर दे। हम धरती माता के लिये मरना चाहते है। हमको गुलामी की जीवन नहीं जीना है। सात समुन्दर पार नहीं जाना है। जितना क्षेत्र इसमें आता है। सब संगठित है। हमारा गाव प्रभावित गांव है हमारे गांव के रोड़ में पानी छिड़काव के लिये कहा गया था नहीं हुआ है।

4. जयलाल साहू, बिजारी, – एसईसीएल द्वारा जिनके जमीन को अधिग्रहण किया जायेगा उन्हे 1 एकड़ के आधार पर 50 लाख मुआवाजा तथा एक एकड़ पर एक नौकरी दिया जाये। अपने रिस्तेदारों को अनुमोदन के अनुसार नौकरी दे सकें। सभी प्रकार के जमीन का समान मुआवजा दिया जाये। व्यवस्था होने के बाद ही खदान शुरू किया जाये।
5. पुनीराम चौहान, बिजारी – एसईसीएल में 40 साल नौकरी किया हूं। अभी तक मेरे को कुछ नहीं मिला है। आज मै कैसे जीवित रहूंगा ? हमारे बच्चों को यहीं नौकरी मिले। आज के दिनांक में 50 लाख में 2 डिसमिल जमीन नहीं मिलेगा रायगढ़ – घरघोड़ा में।
6. भजराम साहू, बिजारी – मै लिख कर दे रहा हुं। हमको पावती मिलना चाहिये।
7. सिलता बाई बिजारी – 50 लाख रूपये प्रति एकड़ में हमारी जमीन ले।
8. अरूना साहू, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
9. सुलोचना, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
10. बेदमति, बिजारी – आवेदन दिया गया।
11. बिमलाबाई चौहान, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
12. चम्पा साहू, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
13. गौरी बाई, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
14. मोहरमति, बिजारी – मेरे पास कुछ नहीं है। खाने को नहीं है।
15. मंगली बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
16. जगरमति, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
17. पंचराम साहू, बिजारी – ई.आई.ए रिपोर्ट का प्रचार – प्रसार नहीं किया गया है। भूमि अधिग्रहण का रेट 50 लाख /एकड़ होना चाहिऐ। स्थानिय खदान में जिनका जमीन जा रहा है उनके महिला पुरूष को नौकरी दिया जाये। खुली खदान होने से वायु प्रदूषण होगा। जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा नहीं दिया गया है। बिना अधिग्रहण के जमीन खोद दिया गया है।
18. पुनीराम साहू, बिजारी – 50 लाख/एकड़ जमीन का मुआवाजा दिया जाये। एसईसीएल का प्रचार – प्रसार प्रशासन द्वारा नहीं किया है। जिनके जमीन जा रही है उनको योग्यता अनुसार महिला पुरूष को नौकरी दिया जायें। यदि कोई नौकरी नहीं लेता तो उनके किसी दूसरे रिस्तेदार को अनुमोदन पर नौकरी दिया जाये। जो बाहरी नौकरी करता है उसे स्थानीय खदान में नौकरी दिया जाये। खुली खदान के कारण ग्राम बिजारी के आस – पास के नदी – नाले खराब हो गये है। हम क्या खायेगें क्या पीयेगें ? बड़े – बड़े पत्थर गिरता है घर धसक जाता है। वृक्षो में फूल नहीं आ रहे है। घरों में दरार पड़ गये है। 40 वर्षों तक पेंशन दिया जाये। आधा पेंशन को कम्पनी न खाये। आबादी भूमि के अधिग्रहण के दशा पर उतना समय दिया जाये। जब तक पूरा मुआवजा हमारे हाथ में नहीं आता तब तक के लिये कोयला उत्पन्न कार्य विरूद्ध है।
19. तुलसी राम, बिजारी – 50 लाख/एकड़ में जमीन हम देंगें। हमको पैसा भी चाहिये जमीन भी चाहिये।
20. लेखराम, बिजारी – 15 एकड़ जमीन गया है ओर दो लोगो को नौकरी दिया गया है। लड़का लड़की सभी को नौकरी देना चाहिए। हम और जमीन नहीं देगें।
21. संतोष बहिदार, जनपद उपाध्यक्ष, रायगढ़ – पुरे जिले में औद्योगिकरण का विरोध करते है। किन्तु सेन्ट्रल एवं राज्य सरकार के किसी भी उद्योग का हम समर्थन करते है। किसान भाईयों ने आज अनेक मांगे रखी है। उसे ध्याान रखना होगा। यदि केन्द्र सरकार की इकाई भी न सुने तो हम किसे कहे। गरीब किसानो को मुआवजा और नौकरी देना होगा। ग्रामीणों के

ADM

प्रत्येक परिवार से नौकरी दिया जाये। सेंट्रल गर्वन्मेंट पूरी राष्ट की धरोहर है। यहां के ग्रामीणो की जीवन पर्यन्त सभी मांगो को मानती रहे। हम समर्थन कर रहें है।

22. मदन साहू, बिजारी – हमारी सभी मांगो को पूरा करें। 50 लाख प्रति एकड़ मुआवाजा दे। इससे कम नहीं दें।
23. तेलमति, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
24. सुनिता, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
25. बिलाती, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
26. गुलापी, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
27. बोलोबाई, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
28. मुंन्नीबाई, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
29. जमुना बाई, बिजारी – विधवा हूं। घर नही है। रोजगार चाहिए।
30. शांतिबाई, बिजारी – कुछ नहीं है। हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
31. संतोषी, बिजारी, – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
32. हीरामोर्ती, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
33. बिमला साहू, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें। नही तो विरोध है।
34. सुनिता, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
35. सेवति साहू, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
36. रेवति साहू, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
37. ननकीबाई, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
38. पार्वती साहू, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
39. गुरवारी बाई, बिजारी – 15 एकड़ जमीन चला गया है। सबको नौकरी दूंगा बोला था किसी को नौकरी नही दिया है। प्रति एकड 50 लाख मुआवजा दे और सबको नौकरी दे।
40. रघुवीर प्रधान, एकता परिषद, रायगढ़ – स्थानीय लोगो के लिये हम कार्य करते है। ई.आई.ए. पंचायत में रखवाते है ईआईए के बारे में बताना किसकी जिम्मेदारी है ? यह क्षेत्र पांचवी अनुसूची पेशा एक्ट के अन्तर्गत आता हैं। यह खदान यहां कैसे आ रहा है ? किसी भी ग्रामीण को यहां के पर्यावरण के बारे में जानकारी नहीं है। साठ – गांठ चल रहा है। एसईसीएल पुर्नवास किसका किया है ? स्पष्ट करें। कोयला खनन में उपजाऊ मिट्टी को अलग रखा जाता है। प्रभावित लोगो को क्या मिलेगा स्पष्ट करें। जमीन, कोयला एक्ट के अन्तर्गत या भू–अर्जन के अन्तर्गत जा रहा है, स्पष्ट करें। जिनका पट्टा भी मिला है। बाकि तकनीकी बातों को लिखित में दे रहा हूं। यहां आपत्ति/ टीका/टिप्पणी विचार करना है समर्थन या विरोध नहीं। जनप्रतिनिधि किसके तरफ है स्पष्ट करें। भू–अर्जन में लाभांश का 26 प्रतिशत् भूमि स्वामी को दिया जाये।
41. धनश्याम प्रसाद साहू, बिजारी – 2009–10 मे जो जमीन लिये है उन्हे पहले यहां नौकरी में लाया जाये फिर हम अपना जमीन देंगें। 6,8,10 लाख में हमारा पुर्नवास नहीं हो पायेगा। हमारी मागों को पूरा करों।
42. रामेश्वर साहू, बिजारी – हमारी मागों को पूरी करो नही तो हम विरोध करेंगे।
43. साहेब राम, कोर्रा – चना मुर्रा बेच कर जीता हूं। हमारे क्षेत्र में 10 वीं तक स्कूल है लड़कियों की संख्या ज्यादा है। जमीन की कीमत 50 लाख की मांग है। सहमत हू। मै गरीबी रेखा के अन्तर्गत आता हूं।
44. बुधलीबाई, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
45. धसनीनबाई, बिजारी – जमीन का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। 10 एकड़ में से 2 एकड़ में मिट्टी गिरा दिया है।
46. पुनीबाई, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
47. उर्मिला, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
48. राजमति, बिजारी – इन्द्रा आवास मोहल्ला के बोरिंग एवं कुआं में पानी नहीं आ रहा हैं। बिजली नहीं है।

ADM

49. समारी, बिजारी – महुआ लेने गया था। पत्थर पति के ऊपर गिर गया। हमारे लिखे मांगो को पूरा करें। मुआवजा दिया जाये।
50. पार्वती, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें। विरोध है।
51. रूकमन साहू, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
52. पद्मावति, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
53. गीता साहू, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
54. समारी, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
55. सरीताबाई,बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें। नही तो विरोध है।
56. गंगाबाई, बिजारी – मेरे को विधवा पेशन, निराश्रित राशि नहीं मिलता है।
57. पद्मावति साहू, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
58. धनवारी बाई, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
59. पांचोबाई, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
60. नानबाई, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
61. लीलावति, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें। छोटे – छोटे बच्चे है पेशंन दो।
62. भेजमति बाई, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
63. मलतीबाई, बिजारी – पानी, बिजली की समस्या है।
64. भुनेश्वर साहू, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
65. मयाराम, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
66. न्चीन साहू, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
67. प्रमोद साहू, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
68. ओमप्रकाश, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
69. नंदसाय साहू, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
70. बोजराम, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें। तभी जमीन देंगें।
71. धनीराम, बिजारी – ग्राम बिजारी के प्रस्ताव को माने। हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
72. कौशलदास बैरागी, बिजारी – रोजगार, जमीन आदि दिये जाने की बात कही गई। हमारे लिखे मांगो को पूरा करें तभी हम प्रोजेक्ट का समर्थन करेंगे नही तो विरोध करेंगें।
73. प्रहलाद राम, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
74. मसकराम, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
75. माधोलाल, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
76. मुखीराम, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
77. जगदम्बा, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
78. रतिराम यादव, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
79. रघुनाथ, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
80. मंगलुराम चौहान, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें। बाल – बच्चे सबको नौकरी दिया जाये, नही तो हम जमीन नही देंगें
81. शौकीलाल, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
82. कुंदन, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
83. दिगाम्बर, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
84. आंनद राम, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
85. प्रेमलाल, कोटवार, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
86. रामवति, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
87. सुशीला, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
88. पुष्पा साहू, बिजारी – पिताजी के जमीन से हमे भी नौकरी दिया जाये । पति छोड़ दिया है हम माता पिता के आश्रय में रह रहे है।
89. रमणी साहू, बिजारी – मेरे चार लड़की ही लड़की है उन्हे नौकरी दी जाये।
90. लक्ष्मी साहू, बिजारी – पिताजी के जमीन से हमे भी नौकरी दिया जाये । मै विकलांग हूं।

ADM

91. नंदलाल चौहान, बिजारी – मेरे पास एक डिसमिल जमीन नहीं है। मुझे नौकरी दिया जाये।
92. मनोहर , बिजारी – मेरे पूर्वज यहां 50 – 60 साल से रह रहे है। घर मकान है। मुझे भी नौकरी दी जायें।
93. बोधरा उरांव, बिजारी – 2003 – 04 मे जमीन लिया गया है एसईसीएल द्वारा 4 नौकरी दिया जाना था एक नौकरी बचा है उसे मुझे दिया जाये।
94. सेख काजिम, मानवाधिकार, रायगढ़ – जमीन तो देना चाहते है पर मुआवजा अच्छा मिले। सभी लोगो को रोजगार मिले, स्वास्थ्य, शिक्षा पर ध्यान दिया जाये। कॉलेज की व्यवस्था किया जाये। यहां के लोग अच्छे से बोल नहीं पा रहे है। शिक्षा का अभाव है। यहां के लोगो को नौकरी दी जाये मै समर्थन करता हैं
95. रूपलाल चौहान, संघर्षमोर्चा, रायगढ़ – इस क्षेत्र के गांवों मे कई समस्या है जैसे स्वास्थ्य शिक्षा, बिजली, पानी। कॉलेज की समस्या है। प्रत्येक परिवार को नौकरी मिले। एसईसीएल को हमारा विरोध नहीं है।
96. जयंत बहिदार, संघर्ष मोर्चा, रायगढ़ – गांव में लोग जागरूक हो रहै है परन्तु वह बोल नहीं सकते, लिख कर लाये है। उनकी मांगे आप पूरा करें। इस भरोसे के उम्मीद में है। हम समर्थन करते है। भूमि अधिग्रहण के कुछ मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। पेड़ो का मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। बरौद के मलवे का पहाड़ में बिजारी के किसानों का जमीन भी शामिल है। जिंदल, मोनेट, जायसवाल निजी कम्पनी है। रायगढ़ में अवैध कोयला उत्खनन होता है। बरौद के कोयला खदान से भी कोयला चोरी की जाती है। ऐसे कोयला चोरी को रोका जाये। भू–अर्जन की कार्यवाही जल्दी करें। आज की दर पर मुआवजा दिया जाये या व्याज सहित मुआवाज मिले। प्रशासन के आदेश का एसईसीएल पालन करें। एक किसान के 19 पेड़ के बारे में मुआवजा हेतु लिखा गया है जिसे एसईसीएल मुआवजा दे। सामुदायिक सुविधा मिले, पुर्नवास पैकेज का पालन करें। छ.ग. पुर्नवास नियम 2006 पालन करे। ऐसे नही है कि जिसका 02 एकड़ जमीन जा रहा है, उसे ही नौकरी मिले। हमारे आदिवासी भाइयों के पास जमीन नही है। 25 – 40 प्रतिशत् ऐसे है क्या इन्हे नौकरी या मुआवजा या रोजगार मुहैया नहीं करायेगें ? उनका क्या होगा, उनके बारे में भी सोचना होगा। गांव के किसान जो कि मूल रूप से पहले का है उनका परिवार यहां निवास कर रहा है उन्हे प्रति एकड़ 5 लाख एकड़ बोनस देगा। यह अतिरिक्त रूप से होना चाहिए। जैसा कि एनटीपीसी द्वारा किया जा रहा है। आदिवासी क्षेत्रों में केवल कोल इंडिया को उत्खनन करने देना चाहिये यह हमने मीडिया में भी बोला है। वह ग्रामीणो का ज्यादा विकास करेगा। इससे पूरे भारत देश का विकास होगा। हम सरकारी कम्पनी का समर्थन करते है। लेकिन स्थानीय लोगों के सुविधाओं को ध्यान में रखना होगा। गांव वालो के विकास के लिये हम समर्थन करते है।
97. जलंधरलाल बैरागी, पुजारी, बिजारी – 60–70 साल हो गया। गांव के जगन्नथ मंदिर में पूजा करते है हम लोग। हमारे ग्राम बिजारी का कहना है की जितने लड़के बाहर गये है उन्हे बुलाया जाये और यही के कॉलरी में नौकरी दिया जाये। मेरी इस बात को स्वीकार करें। जिनका जमीन नहीं है, झोपड़ी है उनको भी नौकरी दिया जाये। जैसा हमारी बस्ती है वैसी व्यवस्था किया जाये। हम यही चाहते है कि हमारे मांगो को पूरा किया जाये। मेरा पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है मेरी पत्नी विकलांग है। मेरे लड़के एवं अन्य लड़को को यही नौकरी दिया जाये। यह एसईसीएल से मैं मांग करता हूं। यह पूरा हो, नही तो मै विरोध करता हूं।
98. जगमति, कौरामुड़ा, – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
99. सेतकुवंर, पोरडा – मै समूह चलाना चाहती है। हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
100. गनपत चौहान, जिला इंटक अध्यक्ष, रायगढ़ – इस क्षेत्र में रातो रात कोयले के कारण नौकर से पालक बन गये। इस क्षेत्र के लोगो ने पहले भी भूमि दी है और नौकरी मिली है। पुस्तैनी जमीन हम दे रहे है तो हमे नौकरी भी यही मिले। आज हम अपना लिखित मांग पत्र दे रहे है। उन्हे पूरा किया जाये। हम अपनी जमीन का 50 लाख/एकड़ मांग कर रहे है परन्तु हरियाणा में 1 करोड़ मुआवजा दिया जा रहा है। अगर हरियाणा में 1 करोड़ मिल सकता है

ADM

तो छ.ग. में क्यो नही ? हमारी भी मांग है 1 करोड़ रूपया मुआवजा और खदान खोल ले। हम निजी कम्पनी का खुल कर विरोध किये है। लेकिन एसईसीएल नौकरी देती है तो हम विरोध के बारे में सोच भी नहीं सकते। आने वाले समय में व्यवस्था परिवर्तन होता है। यदि भविष्य में खदान खुलती हैं तो यहां सब व्यवस्था किया जाये तथा मेडिकल, रोजगार, नल जल योजना को प्राथमिकता दी जाये। बच्चो के पढ़ने के लिये स्कूल मुहैया कराई जाये। समर्थन करते है।

101. देवराबाई, बिजारी – दो एकड़ जमीन गया है मै एसईसीएल गई तो बोले की लड़की को रोजगार नहीं दिया जायेगा। भेदभाव किया गया। एसईसीएल में लड़कियों के लिये जगह नहीं है तो जमीन न ले । मेरे पास 4 एकड़ जमीन है अगर लड़की को नौकरी देंगें तो जमीन हम देंगें। यह कम्पनी ठगने के लिये आई है। हमारी मांगे पूरी नहीं की जायेगी तो हम कुछ भी नहीं देगें।
102. नारद चौहार, टेरम, – हमारे ग्राम को एसईसीएल गोद लिया है। हमारे ग्राम में 10 कक्षा तक स्कूल है यहा 11 वी एवं 12 वीं तक स्कूल चाहिए। यहां ट्रकें चलती है। जिसके धूल से सभी तरफ काला पन हो जा रहा हैं उसे सुधारा जायें।
103. प्रवीण कुमार, छाल – एसईसीएल आ रहा है हर्ष की बात है। मै इसका समर्थन करता हूं। लोगो की मांग पूरा हो।
104. सरफराज अहमद, बिजारी – ग्राम बिजारी की जितनी समस्या है उसे एसईसीएल पूरा करे। समर्थन हैं।
105. फिरसिंह राठिया, कुर्मीभौना – कुर्मीभौना ग्राम पंचायत का आखरी ग्राम बिजारी पड़ता है। यहां जमीन की कीमत 50 लाख/एकड़ दे। जिनकी जमीन जा रही है उन्हे यही नौकरी दे। महुआ इत्यादि पेड़ो का मुआवजा दिया जाये। पोरडा ग्राम में 12 वीं तक स्कूल की व्यवस्था किया जाये।
106. दयाराम, बिजारी – मेरे घर में ब्लास्टिंग से पत्थर गिरा है। जिसके लिये कुछ नहीं मिला तथा कोई जांच नहीं हुआ। मेरे घर में छेद हो गया है। थाना में रिपोर्ट किया गया है।
107. जगमती राठिया, कुर्मीभौना सरपंच – लड़की एवं लड़के दोनो को नौकरी दिया जाये तथा सभी के मांगो को पूरा किया जाये। लड़की एवं लड़का को एक समान माना जाये।
108. फलिंदरराम बैरागी, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
109. रंहसराम, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
110. बबलु यादव, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
111. कार्तिक राठिया, टेरम – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
112. रियोलाल, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
113. देवानंद, मंडल समुह बिजारी – जिन लोगो का जमीन लिया जा रहा है। उन्हे 75 लाख/एकड़ मुआवजा दिया जाये तथा एक एकड़ में एक नौकरी दिया जाये। पुर्नवास की समुचित व्यवस्था किया जाये। 30 हजार प्रतिमाह पेंशन दिया जाये। शिक्षा स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क तत्काल सुविधा किया जायें। अनुमोदन पर रिश्तेदारों एवं अन्य को नौकरी दिया जाये। पेड़ पौधों का मुआवाजा दिया। कुंआ, तालाब, शमसान घाटों का मुआवजा दिया जाये। सीएसआर के तहत् एसईसीएल की तरफ से इस क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं किया गया है। हमारी जीविका पेड़ पौधो पर आश्रित है।
114. मोहम्मद आलम, एसईसीएल के कर्मचारी कॉलरी बरौद, – मुआवजा 50 लाख/एकड़ पर विचार किया जाना होंगा। लड़की–लड़का एक समान है तो एसईसीएल लड़की को नौकरी क्यों नहीं देगी ? मेरी मांग जायज है। गांव की समस्या पर भी शासन एवं एसईसीएल दोनों को विचार करना चाहिए। जमीन देने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। जिसको नौकरी नहीं मिलती और गांव उजाड़ देगें उसकों भी नौकरी मिलनी चाहिए। मांगों को पूरा करें मैं समर्थन करता हूं।
115. पद्मा, बिजारी – मेरी एक लड़की है लड़का नहीं है बेटी दमाद को नौकरी मिलनी चाहिए।
116. ललीता बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।

ADM

117. उतरा साहू, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
118. बृजेश कुमार, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
119. पवन कुमार, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
120. सादराम, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
121. राजेन्द्र सिंह, एसईसीएल कर्मचारी – लड़की एवं लड़का एक समान है। यहां पर यदि लड़की को नौकरी नहीं मिलेगी कहते है तो गलत है। लड़की–दमांद को नौकरी मिलनी चाहिए। शिक्षा की बहुत आवश्यकता हैं पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए हम समर्थन करते हैं।
122. जनक साहू, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
123. डी.एल.वालवंशी, इंटक अध्यक्ष, छाल – जहां मै निवास करता हु वह एक एसईसीएल की माईंस है। मैं समर्थन करता हूं।
124. जहलसाय राठिया, बरौद – यह प्रभावित ग्राम है। आये दिन रोड जाम रहता है। पानी की शिक्षा की समस्या है। प्रबंधक द्वारा अभी तक ध्यान नहीं दिया है। मकान का सर्वे ठीक से नहीं हुआ है। पट्टा दिया जाये। उड़ते डस्ट को रोकने की आवश्कता है। अर्जन की गई जमीन के परिवार को नौकरी जल्दी दी जाये। ग्राम बिजारी के सभी मांग को पूरा करें। समर्थन करते है।
125. जवाहरलाल, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
126. गोपालदास, कुडुमकेला – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
127. जगतराम, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
128. पीताराम, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
129. बंतराम, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
130. यादराम उरांव, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
131. मुंगीराम, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
132. बेधराम, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
133. राधेलाल, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
134. सीतराम, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें। एक आदमी खत्म हो गया है उसके जगह पर मुझे नौकरी दिया जाये।
135. रेवतीकुमार, खेदापाली – ग्राम बिजारी में जिसका जमीन जाता है उसे मुआवजा दे। ग्राम बिजारी के सभी मांगों को पूरा किया जाये। सभी का विकास हो। बहुत सारी प्राईवेट कम्पनी आ रही है। प्राईवेट कम्पनी लालच दिखाते है। यहां के ग्रामीणों की दुर्दशा देखकर दया आती हैं। एसईसीएल की बहुत सारी अच्छाईयां है। हमारे यहां बिजली की व्यवस्था की जाये, ताकि बच्चे अधंरे से निकल कर उजाले में आ सके। सौर उर्जा का हमने वितरण कराया। हमारे बेटियों को नौकरी मिले इसका मै पूर्ण समर्थन करता हूं तथा ग्राम बिजारी की मांगो को पूरा किया जाये।
136. रामपकाश साहू, बरघाट एसईसीएल कर्मचारी – यह ग्राम पावन है जो कि इनकी धरा पर प्रचुर मात्रा में कोयला है। रोजगार का अवसर मिलता है। स्वास्थ्य, चिकित्सा मिलती है। समर्थन करता हूं।
137. घासीराम, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
138. बेनुप्रकाश बघेल, भरतीय कोयला मजदूर संघ सचिव, रायगढ़ – बिजारी ग्राम के मांगों का सम्मान करता हूं और इन मांगों का एसईसीएल द्वारा पूर्ण किया जाये मै मानता हूं। यह एक सरकारी कम्पनी है। किसी का जमीन जाता है उसे दर्द होता है। छोटी – मोटी समस्यों को एसईसीएल द्वारा निराकरण किया जाये। पर्यावरण पर ध्यान दे। वाटर स्प्रे कराये। गांव की मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान देती है एसईसीएल।
139. शरद कुमार, डोमनारा – एसईसीएल क्षेत्र के विकास के लिये हमेशा अग्रसर रहता है। मैं इस जन सुनवाई का समर्थन करता हूं
140. अंशराम साहू, बरघाट – समर्थन करता हूं।

ADM

141. रामावतार, कोयल श्रम संघ, रायगढ़ – इस क्षेत्र को एक सौगात के रूप में विकास की एक धारा मिलने वाला है। यह पब्लिक सेक्टर है जो कि आपके फायदे की सोचता है। मेरा इस मंच के माध्यम से अपील है की ग्राम बिजारी की मांगो को विशेष रूप से पूर्ण करें। नौकरी की समस्या एवं पिछले समय की घटना का ध्यान दे। समर्थन है।
142. गोविंदराम , बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
143. नंदकुमार, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
144. उतराकुमार, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
145. बुधीराम, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
146. डमरूधर चन्द्र, एसईसीएल, छाल – चिकित्सा, शिक्षा एवं स्थाई रोजगार मिलेगा। ग्राम वासियों की मांगो को सदभावना पूर्वक विचार किया जाये। मुआवजा राशि का समाधान किया जाकर खदान खोला जाये। समर्थन करता है।
147. मोहन लाल, कोयला मजदूर समाज सचिव, शेखरपुर – ग्राम बिजारी के मागों को उचित रूप से पूरा करें। समर्थन करता हूं।
148. रेवती रमन बघेल रायगढ़ – ग्रामीणों की मांगों को ध्यान में रखते हुए खदान खोला जाये।
149. चतुरराम, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
150. पूतराम सिदार, पोरडा – भूमि अधिग्रहण किया गया है उन्हे 75 लाख/एकड़ मुआवाजा दिया जाए तथा एक एकड़ पर नौकरी दिया जाये। प्रभावित कृषकों को पुर्नवास की व्यवस्था की जाये। प्रभावित कृषकों को जीवन काल तक 30 हजार पेशन दिया जाये। जिन कृषकों की भूमि अधिक है उनके अनुमोदन पर उनके रिस्तेदारों को नौकरी दिया जाये। पेड़ पौधों का उचित मुआवजा दिया जाये। जिन कृषकों के कुआं, तालाब, बोर, डभरी प्रभावित हो रहे है उन्हे मुआवजा दिया जाये।
151. शिवचरण, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
152. चंदन, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
153. केतन उराव, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
154. बिलाल मांझी, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
155. संजय पटेल, घरघोड़ा – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
156. ओमप्रकाश, टेरम – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
157. सुग्रीवराम, टेरम– हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
158. नसिंग राम, टेरम, – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
159. नंदकुमार, टेरम – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
160. हृदयराम, टेरम – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
161. कृष्णकुमार , चन्द्रशेखरपुर – बिजारी ग्राम एवं आस – पास के प्रभावित कृषकों के मागों को पूरा करें।
162. रमेश गुप्ता, कर्मचारी एसईसीएल बरौद – एसईसीएल भारत सरकार का एक उपक्रम है। इसकी आय से देश का विकास होगा। खदान पेड़ पौधे के नुकासान का भरपाई करें। समर्थन हैं
163. मुनीराम, धरमकॉलोनी – समर्थन करता हूं।
164. जीवनलाल, घरघोड़ा – समर्थन करता हूं।
165. नरेन्द्र राठिया, छाल – समर्थन करता हूं।
166. श्यामसागर, बरौद दफाई – हमारे लिये बिजली पानी इत्यादि की व्यवस्था नहीं की गई हैं। ब्लास्टिंग से समस्या है। मुआवजा मिलेगा लेकिन नहीं दिया है। तालाब का पानी पीना पड़ता है।
167. साहेब राम, पोरडा – समर्थन हैं
168. धनसिंह उरांव, बिजारी – मांग को पूरा करें।
169. कार्तिकराम उरांव, रूमकेरा – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
170. नंदकुमार, रूमकेरा – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।

ADM

171. तीजराम, पोरडा – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
172. नारियरदास, पोरडा – ब्लास्टिंग हो रहा हैं घर फूट रहा है। धूल बहुत हो रहा है। बच्चों को परेशानी हो रही है।
173. हरबंश राठौर,, रायगढ़ – प्रदूषण को ध्यान में रखतें प्रदूषण को मिटाने के लिये काम किया जायें। परिवहन से जो कोयला जाता है उनमें कोल डस्ट मिलता हैं जल छिड़काव की कमी है पानी का छिड़काव किया जाये। मकान के फूटने गिरने में मुआवजा दिलाया जाये। समर्थन हैं
174. भागीरथी, रायगढ़ – शिक्षा के क्षेत्र में एनआईटी तथा सारी सुविधा दिया जाता है। मेडिकल की सुविधा दिया जाता है। सभी सुविधाएं दी जाती है। नौकरी भी दिया जाता है। समर्थन हैं।
175. ओमप्रकाश, टेरम – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
176. एस.आर.शर्मा, रायगढ़ – समर्थन है। ।
177. सतनाम सिंह वाधवा, रायगढ़ – समर्थन करता है। अच्छाईयां विकास, उन्नति है। गांव वालों की सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा शासन के अनुसार करते है। कुछ समस्याए जरूर है। शिक्षा का विकास हो। स्वास्थ्य शिविर किया जाता है ?
178. संजय अग्रवाल, रायगढ़ – समर्थन करता हूं।
179. मालिक राम डनसेना, अध्यक्ष प्रेस क्लब घरघोड़ा – समर्थन करता हूं।
180. दामोदर साहू, बिजारी – समर्थन करता हूं।
181. सीताराम साहू, पोरडा – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
182. धनश्याम पटेल, पोरडा – हमारे क्षेत्र का विकास हो। हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
183. पंचराम सिदार, – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
184. प्रताप सिंह, पोरडा – रोड बनाये, पानी की व्यवस्था करें।
185. शिव कुमार, घरघोड़ा – विकास के लिये खदान का खुलना आवश्यक है। पर्यावरण पर ध्यान देना होगा। पानी का छिड़काव होना चाहिए । कोयले का परिवहन तारपोलिन से ढककर होना चाहिए। समर्थन है।
186. लल्लु बेहरा, रूमकेरा – हमारे यहां पानी, सी.सी. रोड की व्यवस्था किया जाये। इसकी व्यवस्था की जायें। तालाब की व्यवस्था की जाये। समर्थन करता हूं। आश्रित ग्राम को सहायता प्रदान करें।
187. केशव प्रसाद, टेरम – बस मुहैया कराया जाये। टेरम में 12 वीं तक स्कूल की व्यवस्था की जाये। रोड में जल छिड़काव कराया जाये।
188. रामलाल साहू, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
189. लालु प्रसाद, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें
190. विद्याधर, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
191. लच्छीराम, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।
192. बंसत यादव, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें
193. नरेन्द्र प्रताप, बिजारी – जमीन से हमारी पहचान बनती है। बरौद के जन सुनवाई 2005 में किये गये वादे का क्या हुआ ? हम जिस रोड में जाते है वह धूल से भरा हुआ है। बिना त्रिपाल ढके परिवहन किया जा रहा है। क्या डम्प एरिया में पेड लगे है। नौकरी सुरक्षित नहीं है। मै भू–स्वामी हूं। मेंरा जमीन वन विभाग ने खराब कर दिया। मेरे जमीन में सडक बनाया गया है। कोई नहीं सुनता हैं। आज मेरा 02 एकड़ जमीन कृषि योग्य नही रहा है। 12 कि.मी. एरिया मूलभूत सुविधा पूर्ण करने की प्रबंधन की जवाबदारी है। क्या इनका कोई नियम नही है? जब हम रोड पर आ जायेगें तो खदान खुल जायेगी। स्थानीय प्रशासन भी ध्यान नहीं देता। यहां विकास क्यो नहीं होता ? बेहतर रूल रेगुलेशन तय हो, तब प्रोजेक्ट आगे बढ़ाया जाये।
194. बोधराम साहू, बिजारी – मेरा जमीन बरोद में गया था और कोरबा में नौकरी दिया है। हमारी मांग को पूरा करें। जो लिखित दिया गया है।
195. नरसिंग , कर्मचारी बिजारी – समर्थन।
196. हीरालाल, बिजारी – 02 एकड़क में नौकरी देने को बोला था।

ADM

197. चुरामणी साहू, बिजारी – हमारे लिखे मांगो को पूरा करें।

लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण क्षेत्रीय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी द्वारा पढ़कर सुनाया गया।

लोक सुनवाई के दौरान जनता द्वारा उठाये गये मुद्दों के संबंध में उद्योग कंपनी प्रतिनिधि ने परियोजना से होने वाले होने प्रदूषण के नियंत्रण हेतु किये जाने वाले उपाय, ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन, जल आपूर्ति, सामुदायिक विकास के अन्तर्गत कार्य किये जाने के संबंध में कम्पनी प्रबंधक श्री गजबिये द्वारा बताया गया कि आप जो भी विचार रखा है , लिख कर दिया है उससे हम पूर्ण रूप से सहमत है। आपके प्रकरण को हमने राज्य शासन को भेजा है। मुआवजा के लिये आगे कार्यवाही की जायेगी। श्री गोखले, महाप्रबंधक द्वारा बताया गया कि ईआईए में 269 नौकरी देने हेतु लिखा गया है। ईआईए में 84 सीट दर्शाई गई है लेकिन हम उससे ज्यादा लोगो को नौकरी देंगे। 218 हेक्टेयर जमीन की जरूरत है। 02 एकड़ के पीछे 01 आदमी को नौकरी देना है। ग्राम घरघोड़ी में जमीन लेने जा रहे है। जो प्रभावित होगें उन्हे पुर्नवास दिया जायेगा और जो प्रभावित पुर्नवास में नहीं जायेगें उन्हे मुआवाजा राशि 03 लाख प्रति व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष है दी जायेगी। यदि किसी परिवार में 18 वर्ष के 06 व्यक्ति है तो उस परिवार को 6x3 = 18 लाख रूपये मुआवजा दिया जायेगा। राज्य शासन के अनुसार जो भी निर्देश दिया जायेगा, उसका पालन किया जायेगा। प्रभावित परिवार लगभग 300 होंगें। जिसके घर परियोजना में आयेंगें ऐसे 170 परिवार है। 50 लाख/एकड़ मुआवजा के संबंध में यह बताया गया कि राज्य शासन के निर्देशानुसार हम मुआवजा देगें। एसईसीएल नौकरी वेकेंसी के आधार पर देती है। कोई भी नौकरी शुरू में भूमिगत् खदान में दी जाती है। जहां भूमिगत् खदान है वही नौकरी दी जायेगी। केन्द्र शासन का 1952 का कानून के तहत् भूमिगत् खदान में महिलाओं को नौकरी नहीं दी जाती है। इसलिये महिलाओं को नौकरी नहीं दी जा रही है। यदि हाईकोर्ट से आदेश आ जाता है तो महिलाओं को नौकरी दी जायेगी। लल्लुराम के संबंध में बताया गया कि उस समय पेशन की स्कीम लागू नहीं थी इसलिये उनको पेशंन नहीं दी गई। समस्त ग्रामों में जो सीएसआर के अन्तर्गत कार्य करना है। वह कलेक्टर के द्वारा किया जाता है हमें जिस काम को करने का निर्देश दिया जायेगा आदेश आने पर वह काम हम करेंगें। भूमि का अधिग्रहण एक्ट के तहत् हुआ है। आपकी सभी पत्र पर निराकरण किया जायेगा तथा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त बिंदुओं पर बिन्दुवार अपना पक्ष रखा।

सुनवाई के दौरान कई लोगों द्वारा लिखित अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया गया। संपूर्ण लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी की गई ।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा दोपहर सायं 5.00 बजे उपस्थित लोगों के सुझाव, आपत्ति, टीका–टिप्पणी पर कंपनी प्रतिनिधि की ओर से जवाब आने के पश्चात् लोक सुनवाई के समाप्ति की घोषणा की गई।

4/5/2013

**(जे. लकड़ा)**
क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़

04.05.13

**(एस. के. शर्मा)**
अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)